संख्या-573/2017/314/22-2-2017-17(161)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2017***

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल, निवासी-ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद- पीलीभीत का रहने वाला है। प्रधानी की चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को समय 05:00 बजे बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजन पर बन्दूक, देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमला कर 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002, 219/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149, 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2016 तक 15 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 28 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 04 सहअभियुक्तों की मृत्यु तथा 04 सहअभियुक्त कारागार से रिहा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानी की चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजन पर बन्दूक, देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमलाकर 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगा। बन्दी द्वारा संगीन अपराध घटित करने के कारण व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बालजीत (बन्दी संख्या-16024) पुत्र श्री जागनलाल निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-573/2017/314(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-573/2017/314/22-2-2017-17(161)/2017

दिनांक 18 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल, निवासी-ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद- पीलीभीत का रहने वाला है। प्रधानी की चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को समय 05:00 बजे बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजन पर बन्दूक, देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमलाकर 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002, 219/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149, 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2016 तक 15 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 28 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 04 सहअभियुक्तों की मृत्यु तथा 04 सहअभियुक्त कारागार से रिहा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानी की चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर लालता प्रसाद व उसके परिवारीजन पर बन्दूक, देशी तमन्चा, बांका, सूजा, लाठी व बल्लम से हमलाकर 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा संगीन अपराध घटित करने के कारण व्यक्ति विशेंष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in